**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–80/2017**

**CIS No.- TS 86/2019**

शकिना खातून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

म0 अब्बुलैश एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **02.02.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 को दाखिल किया गया है जो आज दिनांक 02.02.2026 को आदेश हेतु निश्चित है।<br>वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादीगण के द्वारा दिनांक 03.08.2023 को संशोधन आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.11.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। वादीगण का उक्त आवेदन दिनांक 29.08.2024 को एक हजार रूपये हर्जे पर स्वीकृत हो गया, जिसकी जानकारी वादीगण को ससमय नहीं हो सका। समय पर आदेश दिनांक 29.08.2024 की जानकारी नहीं होने के कारण वादी के द्वारा वाद में प्रस्तावित संशोधन नहीं किया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 29.08.2024 के आलोक में वादी को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।<br>प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 29.08.2024 के आलोक में वादी को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाए। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादीगण का उक्त संशोधन आवेदन पूर्व में ही दिनांक 29.08.2024 को स्वीकृत किया जा चुका था, जिसकी जानकारी | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–80/2017**

**CIS No.- TS 86/2019**

शकिना खातून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

म0 अब्बुलैश एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 02.02.2026** | नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन नहीं किया जा सका। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण का आवेदन सामान्य प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 20.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करे।<br>वाद दिनांक 11.03.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है।<br>(लेखापित)<br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |